न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण क्रमांक निग0 515–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–11–07 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2005–06.

———

1– राधेलाल पुत्र मूलचंद
निवासी मूडराघाट तहसील सिरोंज
जिला विदिशा
2– गजराज सिंह
3– छतर सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह (Alias भगवानसिंह)
4– नत्थू पुत्र श्री प्रभू लोधी
निवासी मूडराघाट तहसील सिरोंज
जिला विदिशा ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– बानो बी विधवा रहमत अली
2– अहमद अली
3– साहिद अली
4– बाहिद अली
5– निशार अली
सभी पुत्रगण रहमत अली
6– अफरोज जान्हा पुत्री श्री रहमत अली
सभी निवासीगण ग्राम मूडराघाट
हाल निवासी गांधी नगर, गली नंबर 1 भोपाल
7– साबिर अली पुत्र मो. अली
निवासी निशांत टॉकीज के पीछे
मोहल्ला तलैया सिरोंज
8– सालार अली पुत्र श्री मो. अली
निवासी मोहम्मद बरबटपुरा लटेरी
9– अमी अली निवासी श्री मो. अली
निवासी ग्राम मूडराघाट तहसील सिरोंज ——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर ।
अनावेदक क्र. 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री एल. एस. धाकड़ ।

अनावेदक क. 7 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 02–06–2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 43/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 06–11–2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मूडराघाट, तहसील सिंरोज स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 19 कुल रकबा 15.624 है. भूमि का अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 द्वारा नामांतरण एवं बटवारे का आवेदन सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के आाार पर किए जाने हेतु पेशि किया गया । जिस परआवेदक द्वारा आपत्ति की गई कि उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जा रही है, अतः डिक्री अंतिम नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक तर्क सुनकर दिनांक 4–8–2004 को आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष आवेदक द्वारा अपील की गई जो दिनांक 5–9–2005 द्वारा निरस्त की गई । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार 1/5 भाग पर बटवारा करते हुए नामांतरण किए जाने के आदेश दिए हैं, जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया था इस संबंध में कोई आदेश अभिलेख में नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर